

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं० 84 / 2023

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री सर्दुल सिंह पुत्र श्री बंता सिंह
मै० गाबी किरयाना एण्ड पशु आहार, गणेशगढ़, जिला श्रीगंगानगर।

—विक्रेता व मालिक —

अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/52

निर्णय

दिनांक : 02.02.2024

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये हैं। अधिसूचना एवं आदेश की फोटोप्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं।

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.02.2022 को सुबह 11.30 बजे मै० गाबी किरयाना एण्ड पशु आहार, मैन बाजार, गणेशगढ़, श्रीगंगानगर पहुंचे। मौके पर विक्रेता एवं मालिक श्री सर्दुल सिंह पुत्र श्री बंतासिंह को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे सरसों तेल(सिमरन ब्राण्ड) के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान के अन्दर 500 एमएल की 24 बोतल पैक सरसों तेल(सिमरन ब्राण्ड) को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। सरसों तेल(सिमरन ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते सरसों तेल(सिमरन ब्राण्ड) का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान और खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री सर्दुल सिंह पुत्र श्री बंतासिंह एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति


अति.जिल्म कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर



खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री सर्दुल सिंह पुत्र श्री बंतासिंह को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंगन न्यायनिर्णयन आवेदन है।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध सरसों तेल(सिमरन ब्राण्ड) 500 एमएल के चार बोतल पैक विक्रेता से खरीद किए। विक्रेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा सरसों तेल(सिमरन ब्राण्ड) का नगद भुगतान 400/- रूपये किया तथा कैशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के भी हस्ताक्षर हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा सरसों तेल(सिमरन ब्राण्ड) चारों मूल 500 एमएल के 4 पैक बोतलों पर लैबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड व क्रमांक के-1383 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप के-1383 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आये। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री सर्दुल सिंह पुत्र श्री बंता सिंह एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंगन न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. एवं सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :-:L.S./290/Act/2022/290 Dated 03-03-2022 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1383 Misbranded Food** होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री सर्दुल सिंह पुत्र श्री बंतासिंह, मैसर्स गावी किरयाना एण्ड पशु आहार, गणेशगढ़, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर के सरसों तेल(सिमरन ब्राण्ड) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 22.08.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त की ओर से जितेन्द्र किनरा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थी अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।


श्री. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर



राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया सरसों तेल(सिमरन ब्राण्ड) का सैम्पल K-1383 जांच रिपोर्ट क्रमांक :-:L.S./290/Act/2022/290 Dated 03-03-2022 द्वारा **Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अप्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में सरसों तेल सिमरन ब्राण्ड जो क़य किया गया है, वह बाजार से क़य किया गया है। मेरे द्वारा तैयार नहीं किया गया है। प्रार्थी के साथ नरमी का क़ख अपनाते हुए लोक अदालत की भावना से कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण करें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Mustard Oil" bearing Code No and Sr. No. K-1383, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Misbranded food under section No.3(1)(zf)(c)(i) of Food Safety and Standards Act-2006. स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त सर्दुल सिंह पुत्र श्री बंतासिंह को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री सर्दुल सिंह पुत्र श्री बंतासिंह को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रुपये 10000/- (अखरे रुपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को इस निर्देश के साथ भेजी जावे कि भविष्य में अभियुक्त खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय आज दिनांक 02.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अरविन्द कुमार जाखड़)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशाद)
श्री गंगानगर।